29₀

MATTERS UNDER RULE 377

(i) POWER CRISIS IN DELHI DUE TO AGITATION BY EMPLOYEES OF DESU

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayin-Sir, may I draw the attention of the House to a very important matter of urgent public importance. Sir, there have been a series of power breakdowns in the Capital during the This has resulted in last few days. a lot of hardship to the citizens of the Capital. People are suffering a lot because of lack of electricity and also because of power breakdowns which in certain areas even go upto six hours. In this connection I quote here Shri Swarup Chand Chairman of the Delhi Electric Supply Committee, who has said that power breakdowns have considerably. Now, this has been admitted by the government but almost nothing has been done by the government to see that power supply in Delhi is normalised.

Sir, there are about 25,000 employees of DESU who have been going on agitation for the last few weeks. Five of the employees are on hunger Neither the Government at the Centre nor the Delhi Municipal Corporation are taking any steps to solve this problem and save the Delhi citizens of the power crisis. I would request the Government to do the needful in this respect.

(ii) RESTRICTIONS PROPOSED BY DDA ON DOCTOR'S CLINICS AND NURSING HOMES IN RESIDENTIAL AREAS

डा० सुझीला नायर (झांसी): ग्रापके माध्यम से मैं हाउसिंग के मंत्री जी का ध्यान एक महत्वपूर्ण सवाल की ग्रोर ग्राकर्षित करना चाहती हं। इस विषय के बारे में पहले सवाल भी पछे गए हैं। श्रव मै उन से नियम 377 के भ्रन्तर्गत एक सवाल करना चाहती हं। डी० डी० ए० की तरफ से एक आदेश निकाला गया है कि नर्सिंग होम्ज भौर डाक्टरों के क्लिनिक रेजीडेंगल एरियाज में नहीं होंगे। धनर होंगे तो उनको प्रासीक्यूट किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा। क्या यह उचित है ? उन्होंने एक जवाब में यह कहा है कि एक जीथाई हिस्सा घर का क्लिनिक के लिए रखा जा सकता है भौर निसंग होस्त को हो हटाना ही है । थोड़ा समय हम इसके लिये दे सकते हैं। लेकिन श्रीमन ग्राज सबेरे भी हम सब ने सुना कि किस प्रकार रे ग्रस्पतालों में इस वक्त भीड़-भाड़ रहती है भीर वहां स्थान कम होने की वजह से दो-दो रोगियों को एक पलंग पर रखा जाता है । ग्रस्पतालों की हालत बहत खराब हो रही है। दो, दो मरीज एक बैठ पर रखे जा रहे हैं, भीर छ: छ: बच्चे एक बैड में रखे जाते हैं। सुविधायें नहीं है। क्या उनको मालम है कि 88 नरसिंग होम्स हैं दिल्ली में, जिनमे 15 सें ले कर 50 बैंड्स तक का प्रौवीजन है, सर्जरी की भी उनमें व्यवस्था है। क्लोनिक्स की संख्या तो बहत ज्यादा है भीर दो-दो चार-चार डाक-टरों ने मिल कर सारी डायगोनास्टिक फेसलिटीज, ऐक्सरे मे ले कर पैथोलाजीकल टेस्टस इत्यादि की सुविधाएँ रखी हुई है। तो भ्रगर वह रेजीडेंशियल एरियाज मे रहते हैं तो उससे लोगों को मुविधाये होती हैं। घर के पास होने से तीमारदारों को बहुत मृविधा होती है । घर मे खाना भी लेजासकते हैं। अगर उनको बिजनेस ग्रीर कर्माशयल एरियाज सें ले जाने की बात करेंगे तो वह गलत होगा। दुनिया भर में नींसना होम्स रेजीडेंशियल एरियाज में ही होते हैं। अतः क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, भ्रोर क्या उनका इस झार्डर को पलटने का इरादा है ? यदि हां तो कब तक ?

(iii) WHEAT LYING IN THE OPEN IN CHANDIGARH AND OTHER CENTRES OF PUNJAB AND HARYANA

SHRI YADVENDRA DUTT (Jaunpur): Sir, with your premission, I beg to raise the following matter under Rule 377.